संख्या-175/2022/1524/22-2-2022-17(839)/2022

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राममिलन पुत्र श्री टेढ़े उर्फ कल्लू, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राममिलन पुत्र श्री टेढ़े उर्फ कल्लू, ग्राम-बरीरोडपुराना तोपखाना बालागंज, थाना-ठाकुरगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बंदी ने दिनांक 28.11.2001 को अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर 07 वर्षीय बालक मो0 जावेद के साथ अप्राकृतिक मैथुन कर हत्या कर दी। बन्दी द्वारा दिनांक 20.07.2020 तक 18 वर्ष, 07 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 05 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा बन्दी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से रिहा होने पर पुन: जघन्य पराध कारित किये जाने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 28.11.2001 को बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर 07 वर्षीय बालक मो0 जावेद के साथ अप्राकृतिक मैथुन कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा, निर्दिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत राममिलन पुत्र श्री टेढ़े उर्फ कल्लू को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राममिलन(बन्दी संख्या-100/2017) पुत्र श्री टेढ़े उर्फ कल्लू, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-175/2022/1524(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-175/2022/1524/22-2-2022-17(839)/2022

दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राममिलन पुत्र श्री टेढ़े उर्फ कल्लू, ग्राम-बरीरोडपुराना तोपखाना बालागंज, थाना-ठाकुरगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बंदी ने दिनांक 28.11.2001 को अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर 07 वर्षीय बालक मो0 जावेद के साथ अप्राकृतिक मैथुन कर हत्या कर दी। बन्दी द्वारा दिनांक 20.07.2020 तक 18 वर्ष, 07 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 05 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा बन्दी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से रिहा होने पर पुन: जघन्य पराध कारित किये जाने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 28.11.2001 को बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर 07 वर्षीय बालक मो0 जावेद के साथ अप्राकृतिक मैथुन कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा, निर्दिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत राममिलन पुत्र श्री टेढ़े उर्फ कल्लू को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।